97 (3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी नीति की समीक्षा

उपर्युक्त विषय पर बी पी ई तारीख 5 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(25)/83–बी पी ई (पी ई एस बी) के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस ज्ञापन में दिए गए निर्णयों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:–

(i) रूग्ण व संभवतः रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी ई एस बी) से परामर्श करके मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से संबद्ध मंत्रालय/विभाग का प्रशासनिक सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के महाप्रबंधक पद की भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अखिल भारतीय समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं से किसी भी व्यक्ति को स्थायी आमेलन के नियम पर जोर दिए बगैर प्रतिनियुक्ति आधार पर लेने का निर्णय ले सकता है।

(ii) ऐसी स्थिति में जहां सा.क्षे. के उपक्रम की बहुत खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए ए आई एस/समूह 'क' केन्द्रीय सेवा अधिकारियों की पूर्णकालिक आधार पर प्रतिनियुक्ति आवश्यक नहीं समझी जाती है, वहां उन्हें उपयुक्त अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की व्यवस्था करने की सिफारिश या निर्णय लिया जा सकता है।

2. उपर्युक्त निर्णय सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाए जाएं ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

(डी पी ई का 19 जून, 1998 का कार्यालय ज्ञापन सं. 18(4) 98–जी एम– जीएल–006)